4. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जायेगा तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में अंकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेवर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
6. शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, लैण्ड स्केपिंग का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र, प्रमाण–पत्र, मानचित्र आदि प्राप्त किया जाय।
7. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढ़ांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
8. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
9. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही भवन का उपयोग किया जायेगा।
10. स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति जिला खनन अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

विषय सं0–5 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मानसरोवर योजना, विस्तार के सेक्टर–पी में 42 फ्लैट्स का ग्रुप हाउसिंग (फाल्गुनी) के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

<u>समिति की संस्तुतिः</u> कानपुर रोड योजना के सेक्टर–पी में 12 मी0 चौड़े मार्ग पर स्थित 0.3628 वर्गमी0 के फ्यूचर प्लानिंग/रिक्त भूखण्ड पर प्रस्तावित समूह आवास योजना के भवन में स्टिल्ट सहित छः तल के निर्माण प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव में भू–आच्छादन, एफ0ए0आर0, सेटबैक आदि भवन उपविधि–2008 के अनुरूप होने के दृष्टिगत, वाहनों की पार्किंग का प्राविधान खुले स्थल एवं स्टिल्ट पर प्रस्तावित है एवं प्रस्ताव भवन उपविधि के अनुरूप होने के दृष्टिगत समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृति/निर्गत करने हेतु संस्तुति की जाती हैः–

<u>प्रतिबन्धः</u>–

1. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनापत्ति में अंकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेवर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
3. शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण लैण्ड स्केपिंग एवं एस0टी0पी0 का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाने क शपथ पत्र, प्रमाण–पत्र, मानचित्र आदि प्राप्त किया जाय।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पाल सुनिश्चित किया जाय।
5. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश अनुसार प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय।

विषय सं0–6 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना के सेक्टर–: में 126 फ्लैट्स का ग्रुप हाउसिंग (श्रवण) के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

Scanned by CamScanner

के अनुसार मानचित्र की स्वीकृति/निर्गत करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही भवन विभाग द्वारा किये जाने की समिति द्वारा पुनः संस्तुति की जाती है।

<u>विषय सं0–11</u> सचिव, रिषिकुल शिक्षा समिति द्वारा खसरा सं0–171 व अन्य टिकैतराय तालाब, मोहान रोड, बिहारीपुर , लखनऊ पर प्रस्तावित स्कूल भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

<u>समिति की संस्तुतिः</u> वाह्य विकास शुल्क से छूट हेतु आवेदक के अनुरोध पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत शासनादेश संख्या–2836/ आठ–1–09–21डीए/09 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, लखनऊ, दिनॉक 17 अगस्त, 2009 के प्राविधानों पर समिति द्वारा विमर्श किया गया। विचारोपरांत आवेदक के अनुरोध के कम में वाह्य विकास से छूट हेतु शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।

<u>विषय सं0–12</u> श्री रमेश चन्द्र द्वारा औरंगाबाद खालसा, मानसरोवर योजना, कानपुर रोड, लखनऊ पर प्रस्तावित तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में।

<u>समिति की संस्तुतिः</u>

तकनीकी समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृत एवं निर्गत हेतु संस्तुत प्रकरण पर भवन विभाग द्वारा सम्बन्धित जोन से स्थलीय स्थिति के अनुसार विकास शुल्कों पर आख्या/प्रस्ताव प्राप्त करते हुये एवं मुख्य अभियन्ता, अनुभाग से की संस्तुति तथा आवेदक द्वारा अपने भूखण्ड में आन्तरिक विकास स्वयं किये जाने तथा उपरोक्त हेतु बैंक गारन्टी एवं निरीक्षण शुल्क लिये जाने के कारण पुनः आंतरिक विकास शुल्क आरोपित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है, का समिति के सभी सदस्यों का मंतव्य स्थिर हुआ। मानचित्र सेल द्वारा उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अन्त में समस्त सदस्यों को धन्यवाद देते हुये बैठक समाप्त की गयी।

(जे0एन0 रेड्डी)
मुख्य नगर नियोजक/
संयोजक
ल0वि0प्रा0,

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव,
ल0वि0प्रा0

अनुमोदित

(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष,
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

Scanned by CamScanner

मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 26.04.2016 का कार्यवृत्त :

उपस्थिति

1. श्री सत्येन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3. श्रीमती सीमा सिंह, अपर सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
4. श्री ओ0पी0 मिश्र, मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
5. श्री जे0एन0 रेड्डी, मुख्य नगर नियोजक/संयोजक, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
6. श्री शेर सिंह, सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, कपूरथला, लखनऊ।

अन्य उपस्थिति

1. जोनल अधिशासी अभियंता व उनके सहायक।
2. विभिन्न मानचित्र के भू–स्वामी/विकासकर्ता।

कार्यवाही:

बैठक में प्रस्तुत प्रकरणों पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निम्न निर्णय प्रदान किया।

विषय सं0–1 मे0 राजकुमार, श्रवण ऑयल एवं राईस मिल्स की भूमि संख्या–11 एवं 11ए मिल रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, ऐशबाग, लखनऊ का क्षेत्रफल–23599.23 वर्गमी0 पर प्रस्तावित तलपट मानचित्र एवं समूह आवास निर्माण के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

समिति की संस्तुतिः भूखण्ड सं0–11 एवं 11ए मिल रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया, ऐशबाग, लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा विकसित योजना का भूखण्ड है। इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से सम्बन्धित शासन द्वारा जारी किये गये शासनादेश सं0–72/3488/आठ–1–14–30विविध/2014, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1,दिनॉक 12 दिसम्बर, 2014 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, महायोजना में प्रस्तावित चौड़ाई 45 मी0 से प्रभावित भूमि को छोड़कर कुल भूखण्ड के 45–50 प्रतिशत भूमि भू–स्वामी, 20 प्रतिशत प्राधिकरण/सरकार को तथा अवशेष 30 प्रतिशत पर पार्क एवं मार्ग के विकास हेतु आरक्षित करते हुये इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा प्रेषित तलपट मानचित्र पर तकनीकी समिति को कोई आपत्ति नहीं है। इस तलपट मानचित्र के भूखण्ड के फी–होल्ड की अनुमति हेतु शासन को संदर्भित किया गया है। भूखण्ड लखनऊ महायोजना–2021 के अन्तर्गत औद्योगिक तथा आवासीय होने के दृष्टिगत मिश्रित या आवासीय उपयोग में शासन द्वारा परिवर्तित होना अपेक्षित है। प्रस्तावित मानचित्र में भू–स्वामी की भूमि पर निर्माण हेतु दर्शित एफ0ए0आर0 शासनादेश के अनुरूप प्रस्तावित नहीं है। भूखण्ड के 30 प्रतिशत भूमि जो पार्क/मार्गो के रूप में विकसित किया जाना है, के एफ0ए0आर0 को आनुपातिक रूप से विकासकर्ता के भूखण्ड तथा प्राधिकरण/सरकारी विभाग को प्राप्त हो रही भूमि पर वितरण करते हुए भवन उपविधि के अनुरूप संशोधित मानचित्र प्राप्त कर परीक्षण तथा स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है। तदनुसार पक्ष को सूचित कराते हुये भवन विभाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही कराने की तथा उपरोक्तानुसार एफ0ए0आर0 के वितरण से आवेदक के असहमति की

Scanned by CamScanner